वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 163/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-04.05.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 04.05.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी है।

01.थाना देवगाव: 02 किग्रा अवैध गांजे के साथ 01 अभियक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 04.05.2025 को **उ0नि0 संजय यादव मय हमराह उ0नि0 अभिषेक कुमार मिश्रा व उ0नि0 विनय कुमार सिंह,** द्वारा चेकिंग के दौरान मोलनापुर ब्रिज से **राजेन्द्र यादव पुत्र गयादीन यादव निवासी ग्राम मौधा मकरसन थाना खानपुर जनपद गाजीपुर** को 2 किग्रा अवैध गांजे के साथ पकड़ा गया। जिसकी तलाशी से उसके पास से एक छोले में रखा हुआ 02 किग्रा अवैध गांजा बरामद हुआ। जिसे कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय 02.50 बजे हिरासत पुलिस लिया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1-मु0अ0सं0 148/2025 धारा 8/20 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 थाना देवगाव जनपद आजमगढ

बरामदगी का विवरण- 02 किग्रा अवैध गांजा

02.थाना मुबारकपुरः दहेज हत्या में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

दिनांक- 03.05.2025 को वादिनी मुकदमा श्रीमती फुलेसरी देवी पत्नी स्व0 छेदी सोनकर निवासी ग्राम धर्मसीपुर थाना रानीपुर जिला मऊ द्वारा स्वयं की पुत्री (पीड़िता) के ससुराली जन पीड़िता का पति लक्ष्मी सोनकर पुत्र अच्छेलाल सोनकर, जेठ गुड्डू सोनकर व गोरख सोनकर पुत्र अछेलाल सोनकर व देवर प्रदीप पुत्र अच्छेलाल सोनकर, जेठानी आरती पत्नी गुड्डू सोनकर व सास झिनकी देवी पत्नी अच्छेलाल सोनकर निवासी ग्राम रसूलपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ द्वारा मिलकर दहेज के लिये प्रताड़ित करना एवं पीड़िता की हत्या कर देने के सम्बन्ध मे तहरीर प्राप्त हुआ जिसके आधार पर **मु0अ0सं0 181/2025 धारा 85/103 बीएनएस** पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर निहार नन्दन कुमार स्वयं कर रहे है। विवेचना से अभियोग **धारा 85/108 बीएनएस व 3/ 4 डीपी एक्ट** मे प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 04.05.2025 को **प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर निहार नन्दन कुमार** मय हमराह पुलिस बल के क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर वांछित **अभियुक्त 1. लक्ष्मी सोनकर पुत्र अच्छेलाल सोनकर व उसकी माता 2. झिनकी देवी पत्नी अच्छेलाल सोनकर निवासी ग्राम रसूलपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़** को उनके घर ग्राम रसूलपुर से समय करीब 12.10 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. लक्ष्मी सोनकर पुत्र अच्छेलाल सोनकर व उसकी माता
2. झिनकी देवी पत्नी अच्छेलाल सोनकर निवासी ग्राम रसूलपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 181/2025 धारा 85/108 बीएनएस व 3/ 4 डीपी एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

03.थाना- सिधारीः दहेज हत्या में वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार।

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 05.01.2025 को वादी रामदुलारे मौर्य पुत्र श्री स्व0 वशिष्ठ मौर्य निवासी मुस्तफाबाद पो0- जहानागंज थाना जहानागंज आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक किता प्रार्थना पत्र बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री प्रियंका मौर्य उम्र करीब 29 वर्ष को प्रताड़ना देने संदेह से दिनांक 03/04.01.2025 को दवा इलाज दौरान मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में दाखिल किये कि दाखिला तहरीर के आधार पर **मु0अ0सं0 04/2025 धारा- 80/85 -बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट** बनाम 1. निलमणि मौर्या पुत्र राजमणि मौर्य 2.जड़ावती मौर्या(जिया) पत्नी राजमणि मौर्या निवासीगण हैदराबाद छतवारा थाना सिधारी आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर गौरव शर्मा द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त नीलमणी मौर्या पुत्र राजमणी मौर्या सा0 हैदराबाद उर्फ छतवारा थाना सिधारी, आजमगढ़ उम्र करीब 36 वर्ष को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। अभियुक्ता जड़ावती मौर्या पत्नी राजमणी मौर्या ग्राम हैदराबाद उर्फ छतवारा थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र करीब 60 वर्ष मुकदमा उपरोक्त में वांछित चल रही थी।

गिरफ्तारी/घटना का अनावरण-

उ0नि0 मु0 जावेद सिद्दीकी मय हमराह द्वारा दिनांक 04.05.2025 को दहेज हत्या में वांछित चल रही **अभियुक्ता जड़ावती मौर्या पत्नी राजमणी मौर्या ग्राम हैदराबाद उर्फ छतवारा थाना सिधारी आजमगढ़** उम्र करीब 60 वर्ष को समय 19.10 बजे जिन्नाद बाबा के स्थान के पास बह्दग्राम भदुली से गिरफ्तार किया गया

04.थाना गम्भीरपुरः हत्या के प्रयास में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 02.05.2025 को विपक्षीगण 1. अभिषेक सरोज पुत्र बृजलाल सरोज उम्र करीब 19 वर्ष 2. अजय सरोज पुत्र बृजलाल सरोज उम्र करीब 25 वर्ष निवासीगण ग्राम अम्बरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी मुकदमा श्रीमती मीरा देवी पत्नी रमेश राजभर ग्राम अम्बरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 42 वर्ष के लडके राज पुत्र रमेश राजभर को भद्दी-भद्दी गाली गलौज देते हुए मारपीट की गयी तथा जान से मारने की नियत से चाकू से प्रहार करना, जिससे राजा उपरोक्त को बाँह व कमर में गम्भीर चोंट आ जाने के सम्बन्ध में दिनांक 03.05.2025 को थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0-119/2025 धारा 115(2)/352/109 BNS** बनाम 1. अभिषेक सरोज पुत्र बृजलाल सरोज उम्र करीब 19 वर्ष 2. अजय सरोज पुत्र बृजलाल सरोज उम्र करीब 25 वर्ष निवासीगण ग्राम अम्बरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री ज्ञान प्रकाश यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दि0-04.05.2025 को **उ0नि0 ज्ञान प्रकाश यादव** मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्त अजय सरोज पुत्र बृजलाल सरोज ग्राम अम्बरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़** को फैजुल्लाहपुर मोड़ अम्बेडकर मूर्ति के पास से समय करीब 09.50 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

05. थाना- तरवां क्षेत्रान्तर्गत दो पक्षों के मध्य हुई मारपीट व पथराव की घटना में संलिप्त 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, पूर्व में 14 अन्य अभियुक्तों की भी की जा चुकी है गिरफ्तारी।

पूर्व का विवरण-

दिनांक -18.04.2025 को नागेन्द्र चौहान पुत्र रामायन चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ की बारात बेल्थरा रोड जनपद बलिया गयी थी। बारात में डीजे अपने –अपने पसंद का गाना बजवाने को लेकर बाराती ही आपस में लड़ भिड़ गये जिसमें कुछ लोगों को चोटो आयी थी, वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बिगुल चौहान पत्नी रमेश चौहान निवासी दानगंज थाना चोलापुर जनपद वाराणसी व कुछ अन्य महिला व बच्चे भी वर पक्ष के घर ग्राम ठाटा दोयम आये हुए थे। दुल्हे पक्ष के व गांव के अन्य तमाम लोग यह आरोप लगाने लगे कि इन्ही महिलाओं को कहने पर बेल्थरा रोड बारात में मार पीट की घटना हुई है। सूचना प्राप्त होने पर मौके पर उ0नि0 मधुसुधन चौरसिया द्वारा जाकर काफी समझाया बुझाया गया किन्तु मौके पर उपस्थित महिला एवं पुरुष गाड़ी संख्या –UP65FH7XXX को लगातार घेरे रहे तथा उक्त गाड़ी में बैठे महिलाओं बच्चों व चालक को बंधक बना लिये थे। काफी समझाने बुझाने पर भी उक्त महिला पुरुष अपने बेजा हरकत से बाज नहीं आ रहे थे तब उ0नि0 मधुसुधन चौरसिया द्वारा थानाध्यक्ष तरवां व उच्चाधिकारीगण को जरिए दूरभाष मौके की स्थिति से अवगत कराया गया। थोड़ी ही देर में मौके पर थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार तरवां मय हमराह 1.का0 महेश कुमार,का0 नवीन कुमार पुलिस बल के मौके पर पहुंचे थोड़ी देरी में हस्बुल तलब पुलिस बल उ0नि0 शमशेर बहादुर सिंह,उ0नि0 पारसनाथ ,हे0का0 रमेश यादव,का0 हर्षित यादव,का0 राजकर्ण ,का0 प्रमोद कुमार,का0 रामबहादुर यादव,म0का0 पूनम मौर्या,म0का0नगीना मौर्या,म0का0पूजा सिंह ,का0 रामविलास प्रजापति,का0अंकित सिंह,का0 संदीप पटेल भी मौके पर आ गये। थानाध्यक्ष व मौजूद पुलिस बल द्वारा उपस्थित प्रदर्शनकारियों को काफी समझाया बुझाया गया किन्तु उपस्थित महिला पुरुष प्रदर्शनकारी अपने हाथ में लाठी डण्डा ईंट पत्थर लेकर आमदा फौजदारी हो गये तथा गाड़ी संख्या – UP65FH7238 मे बैठे महिलाओं बच्चों एवं चालक पर जान मारने की नियत से हमला कर दिये जिसके कारण उक्त गाड़ी में बैठे महिलाओं एवं बच्चों को चोट आयी तथा गाड़ी को भी बुरी तरह से लाठी,डण्डा व ईट पत्थर चलाकर क्षतिग्रस्त कर दिये। किसी प्रकार से उक्त हमलावरों से बचाने के लिए गाड़ी संख्या – UP65FH7238 मे बैठे महिलाओं बच्चों एवं चालक को पुलिस बल द्वारा निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने हेतु थाना स्थानीय के वाहन संख्या -UP50AG 0370 एवं वाहन संख्या - UP50AG 0360 में बैठाया जा रहा था कि उक्त हमलावरों द्वारा थाना के सरकारी गाड़ी पर भी ईट पत्थर व लाठी डण्डा से हमलाकर उक्त सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हमलावरों द्वारा हमला के दौरान गाली गलौज देते हुए कहे कि पुलिस वाले मिले हुए हैं पुलिस बालों को भी जान से मार दो कहते हुए हमला किये। मौके पर काफी तनाव पूर्ण व अफरातफरी का माहौल था। यदि पुलिस द्वारा आवश्यक बल का प्रयोग नहीं किया जाता तो हमलावरों द्वारा बन्धक बनाये गये व्यक्तियों की जान हमलावरों द्वारा ले लिया जाता । बंधक बनाये गये लोगों को जीवन रक्षार्थ मौके पर हमला करने वाले 1.जसवन्त चौहान पुत्र अग्निदेव चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 2.चिरंजीव पुत्र विलास चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 3.शिव वचन पुत्र रमई चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 4.रविकान्त चौहान पुत्र बेहकू चौहान निवासी उचहुआ थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 5.रामआशीष चौहन पुत्र दीप चन्द चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 6.सूरज चौहान

पुत्र शोभनाथ चौहान निवासी सेर्रा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ 7.राम सरेख चौहान पुत्र प्रभु चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 8.मुरली चौहान पुत्र भोजू चौहान निवासी बघरा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 9.फौदार चौहान पुत्र स्व0 रामनाथ चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 10.शकुन्तला पत्नी द्वारिका निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 11.सोनी पत्नी योगेश निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 12.बीमा चौहान पत्नी मुकेश चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ समय करीब 12.30 बजे थाटा दोयम से पुलिस बल के सहयोग से गिरफ्तार किया गया तथा दौराने गिरफ्तारी मौके से 1.सर्वेश यादव पुत्र कालिका 2.जुगनू पुत्र नीरू चौहान 3.नीरज पुत्र शोभनाथ 4.धीरज पुत्र शोभनाथ 5.मंजू पत्नी बिट्टू 6.हवन्ती पत्नी मिन्दर 7.गुरुचरन पुत्र अज्ञात निवासीगण ग्राम ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ व अन्य हमलावर/बलवाई जिनकी संख्या करीब 50 से 60 महिला व पुरुष नाम पता अज्ञात भागने में सफल हो गये। मौके पर हमलावरों के द्वारा पथराव के दौरान मौजूद पुलिस बल को भी चोटे आयी हैं, थाना हाजा पर उपस्थित आकर वादी मुकदमा उ0नि0 मधुसुधन चौरसिया थाना तरवां जनपद आजमगढ़ द्वारा **मु0अ0सं0 -82/2025 धारा - 190,191(2),191(3),109,127(2),125,121(1), भा0न्या0सं0 व 7 सीएलए एक्ट व 3/5 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम** बनाम 1.जसवन्त चौहान पुत्र अग्निदेव चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 2.चिरंजीव पुत्र विलास चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 3.शिव वचन पुत्र रमई चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 4.रविकान्त चौहान पुत्र बेहकू चौहान निवासी उचहुआ थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 5.रामआशीष चौहन पुत्र दीप चन्द चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 6.सूरज चौहान पुत्र शोभनाथ चौहान निवासी सेर्रा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ 7.राम सरेख चौहान पुत्र प्रभु चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 8.मुरली चौहान पुत्र भोजू चौहान निवासी बघरा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 9.फौदार चौहान पुत्र स्व0 रामनाथ चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 10.शकुन्तला पत्नी द्वारिका निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 11.सोनी पत्नी योगेश निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 12.बीमा चौहान पत्नी मुकेश चौहान निवासी ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 13.सर्वेश यादव पुत्र कालिका 14.जुगनू पुत्र नीरू चौहान 15.नीरज पुत्र शोभनाथ 16.धीरज पुत्र शोभनाथ 17.मंजू पत्नी बिट्टू 18.हवन्ती पत्नी मिन्दर 19.गुरुचरन पुत्र अज्ञात निवासीगण ग्राम ठाटा दोयम थाना तरवां जनपद आजमगढ़ व 50 से 60 महिला व पुरुष नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना व0उ0नि जितेन्द्र सिंह द्वारा की जा रही है तथा शेष अभियुक्तगणों को गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है।

<u>गिरफ्तारी का विवरण-</u>

उ0नि0 शिवम द्विवेदी मय हमराह के थाना हाजा से प्रस्थान कर उचहुवा बाजार मे मामूर थे कि जरिये मुखवीर खास सूचना पर व0उ0नि0 जीतेन्द्र कुमार सिंह को मुकदमे का वांछित **अभियुक्त 1. नीरज पुत्र शोभनाथ निवासी ठाटा शोधनपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र 27 वर्ष** को समय करीब 07.30 बजे ग्राम उचहुवा में केदार मिश्रा के ट्यूबेल के पास से गिरफ्तार किया गया है।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 -82/2025 धारा - 190,191(2),191(3),109,127(2),125,121(1), भा0न्या0सं0 व 7

सीएलए एक्ट व 3/5 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम

गिरफ्तार अभियुक्त

1-नीरज पुत्र स्व0 शोभनाथ निवासी ठाटा उचहुआ थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम

1. उ0नि0श्री शिवम द्विवेदी थाना तरवां जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 श्री शमसेर बहादुर सिंह, थाना तरवां जनपद आजमगढ़

06.थाना- बरदहः चोरी गये आभूषण व नकदी व अवैध तमन्चा कारतूस के साथ चोर गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 02.05.25 को वादी मुकदमा अमरनाथ प्रजापति पुत्र स्व श्रीराम प्रजापति ग्राम-जगदीशपुर सोहोली, थाना-बरदह, जिला-आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि लल्लूगंज बाजार में मेरी मीठाई की दुकान है, दिनांक- 30-04-2025 को रात में 11:00 बजे के बाद अज्ञात व्यक्ति ने दुकान के पीछे से दीवाल में सेंध लगाकर करीब 40000/- चालीस हजार रूपया नकद, एक मंगल सूत्र, एक पायल चोरी कर लिया। उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 118/2025 धारा 331(4),305 बीएनएस** बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

2. दिनांक 04.05.25 को उ0नि0 मनीष कुमार सिंह मय हमराह द्वारा फर्द बरामदगी एक अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद पायल सफेद धातु व रु0 4420/- रुपया चोरी का माल मसरुका सम्बन्धित मु0अ0सं0 118/2025 धारा 331(4),305, 317(2) बीएनएस , चोरी की घटना मे प्रयुक्त एक अदद लोहे का सम्बा, एक अदद आरी की ब्लेड , एक अदद आरी ब्लेड लगी हुयी व गिरफ्तारशुदा एक नफर अभियुक्त के थाना हाजा आये कि थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 122/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट** बनाम सरफराज उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 04.05.25 को **उ0नि0 मनीष कुमार सिंह** मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान के पास नहर के रास्ते पर आ रहें एक व्यक्ति को घेराबन्दी कर पकड़ लिये नाम पता पूछे जाने पर उसने अपना नाम सरफराज पुत्र सोहराब निवासी ग्राम खलीलपुर थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर बताया । अभियुक्त के कब्जे से एक अदद **अवैध देशी तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315** बोर बरामद हुआ, एक अदद पायल सफेद धातु व 4420/- रुपये मु0अ0सं0 118/25 धारा 331(4),305 बीएनएस से सम्बन्धित माल मसरुका बरामद हुआ। **एक अदद लोहे का सम्बा, एक अदद आरी ब्लेड, एक अदद आरी ब्लेड।** अभियुक्त को समय 03.50 बजे गिरफ्तार किया गया। पायल व रुपये की बरामदगी के आधार पर सम्बन्धित **मु0अ0सं0 118/2025 धारा 331(4),305 BNS** मे धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। व **मु0अ0सं0 122/25 धारा 3/25** आर्म्स एक्ट बनाम सरफराज उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1-सरफराज पुत्र सोहराब निवासी ग्राम खलीलपुर थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर

बरामदगी का विवरणः-

1. एक अदद पायल सफेद धातु का व 4420/- रुपये सम्बन्धित मु0अ0सं0 118/25 थाना बरदह,आजमगढ़ व घटना में प्रयुक्त एक अदद लोहे का सम्बा, एक अदद ब्लेड (आरी का), एक अदद आरी ब्लेड लगा हुआ।
2. एक अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर सम्बन्धित मु0अ0सं0 122/25 थाना बरदह, आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 122/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 118/2025 धारा 331(4),305 BNS थाना बरदह, आजमगढ़

07.थाना- कोतवाली: पुलिस ने महिला का खोया हुआ पर्स (01 लाख रूपयें व आभूषण) किया बरामद।

पूर्व की घटना/इतिहास –

दिनांक 03.05.25 को आवेदिका पूजा सिंह पुत्री शिवानन्द सिंह नि0 लक्षिरामपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने समय करीब 12.00 बजे थाना स्थानीय पर आकर सूचना दिया था कि मैं पहाड़पुर मार्केट करने आयी थी। तकिया की ओर जा रही थी। तब मेरा पर्स जिसमें 01 लाख रूपया नगद मंगलसूत्र और मोबाइल फोन , पायल आदि था रास्ते में कहीं खो गया है। उक्त खोए हुए पर्स व सामान की बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली आजमगढ़ श्री शशि मौलि पाण्डेय द्वारा उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल, हे0का0 हरेन्द्र यादव, का0 अखिलेश गौतम थाना कोतवाली आजमगढ़ को उचित दिशा निर्देश देकर टीम गठित किया गया ।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक- 03.05.2025 को प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली आजमगढ़ शशि मौलि पाण्डेय द्वारा उक्त खोए हुए पर्स की बरामदगी हेतु ,उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल, हे0का0 हरेन्द्र यादव, का0 अखिलेश गौतम थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा मुहल्ला पहाड़पुर एवं तकिया में घूम फिर कर अथक प्रयास कर उक्त खोए हुए पर्स को मुहल्ला तकिया से सड़क के किनारे नाली के पास से बरामद किया किया गया। पर्स में 01 लाख रूपया नगद , एक सोने का मंगलसूत्र, एक अदद मोबाइल फोन, एक जोड़ी चांदी की पायल था। आवेदिका पूजा सिंह को बुलाकर बरामदशुदा पर्स मय उपरोक्त सामान के सुपुर्दगी में दिया गया। आवेदिका पूजा सिंह द्वारा पुलिस विभाग की प्रशंसा की गयी।